

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:- प.१(ग)()का / एस.एम.ई. / डी.एल.बी. / १७/१५८९०

दिनांक:- १३/७/१७

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शावित्रियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवारीय संवर्ग के निम्नानुकूलित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री गिरधारी लाल ताकड़	फायरमैन	बीकानेर	रामगढ़ शेखावाटी
02.	श्री जसवंत कुमार	फायरमैन	प्रतापगढ़	आवृत्ती
03.	श्री रामनियास जाट	फायरमैन	पदमपुर	सुजानगढ़
04.	अनिता शर्मा	फायरमैन	लालसोट	दौसा
05.	अमरावती डोडवाडिया	फायरमैन	रामगढ़ शेखावाटी	लोसल

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवानिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का सुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी देविका वेतनमोमी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी रोबानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।



(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव
दिनांक:- १३/७/१७

क्रमांक:- प.१(ग)()का / एस.एम.ई. / डी.एल.बी. / १७/१५८९१-१५९१

प्रतीतिलिपि - सूखनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- पिशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि. राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- उप निदेशक (क्षेत्र) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/भरतपुर/उदयपुर।
- समाप्ति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका
- श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
- सुरक्षित पत्रावली।



(अलका नीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)